संख्या- 75 /2020/ 592 /चार-2020

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2020**

विषयः- राज्य अभिलेखागारों संघ शासित क्षेत्र के सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना वर्ष 2012-13 व 2014-15 में अप्रयुक्त धनराशि के ब्याज का भुगतान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4997/ सं0नि0-5(34)/09-10, दिनांक 06 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार राज्य अभिलेखागारों संघ शासित क्षेत्र के सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना वर्ष 2012-13 व 2014-15 में अप्रयुक्त धनराशि के ब्याज रू0 4,37,556/- (रूपये चार लाख सैंतिस हजार पांच सौ छप्पन मात्र) का भुगतान राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली को करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा रू0 4,37,556/- (रूपये चार लाख सैंतिस हजार पांच सौ छप्पन मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त धनराशि रू0 4,37,556/- (रूपये चार लाख सैंतिस हजार पांच सौ छप्पन मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या- 75 /2020/ 592 /चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in